

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीम.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रतवारी बाधाना व भूअ.नि. 9275 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम / नायब तहसीलदार श्रीम की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कारिमाना तहसील श्रीम व जिला राजसमन्द की जमावन्दी सन्वत् 2077 में खाता संख्या 58, 32, 20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	कारिमाना	58 32 20	बाधाना श्रीम	बाधाना श्रीम

*(Signature)*  
 सहायक पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- 450/25

दिनांक :- 18/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्रीम को भेजकर लेख है-कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाधाना श्रीम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायली।

*(Signature)*  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
 जिला-राजसमन्द